



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51701-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी०आई०एल०) संख्या - 552 वर्ष 2026

बुनेला

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : राम खेलावन पटेल

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जगदीश पाठक, एस०सी०, सुधीर भारती

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में है, याची द्वारा प्रत्यर्थियों को ग्राम पंचायत रतनवा टोला मच्छराहा, दांदोपुर, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर में स्थित आराजी संख्या 71 पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण न करने/न बनाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
2. यह निवेदन किया गया है कि अन्नपूर्णा भवन का निर्माण ग्राम सभा से किसी अनुमोदन के बिना आरंभ किया गया है और यह कि प्रश्नगत भूमि अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आगे यह निवेदन किया गया है कि विभिन्न ग्रामीणों ने आराजी संख्या 71 पर अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का विरोध किया है और इसलिए, प्रत्यर्थियों को निर्माण कार्य जारी न रखने का निर्देश दिया जाए।
4. याची के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए अनुदेश प्रस्तुत किए गए हैं। निवेदन किया गया है कि आराजी संख्या 72 में समाविष्ट भूमि याची की है और वह आराजी संख्या 71 की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था और चूंकि उसे आराजी संख्या 71 से बेदखल कर दिया गया है और उक्त भूमि पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए प्रतिशोध की भावना से वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।
5. अनुदेशों के साथ, ऐसी सामग्री प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम सभा ने आराजी संख्या 71 पर अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए दिनांक 27.08.2025 का एक प्रस्ताव पारित किया है और उसके अनुसरण में, जिला कलेक्टर ने अन्नपूर्णा भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
6. उपर्युक्त तथ्यपूर्ण स्थिति के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में दाखिल की गई है, इसमें उठाई गई दलील तथ्यात्मक रूप से असत्य होने के अतिरिक्त, याची ने इसे केवल प्रश्नगत भूमि से अपनी बेदखली के कारण दाखिल किया है। इसलिए, इस प्रकार की याचिका ग्रहण नहीं की जा सकती है। अतः, इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेन्द्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

मार्च 13, 2026

एन०डी०/वी०एस०

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।